

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा
पीठासीन अधिकारी: सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस
राजस्व आवेदन संख्या:-41/2025

प्रार्थीगण:-

1. केवाराम पुत्र वजाराम जाति मेघवाल निवासी धीरा
2. शंकरराम पुत्र वजाराम जाति मेघवाल निवासी धीरा
3. गेनाराम पुत्र वजाराम जाति मेघवाल निवासी धीरा
4. बाबुराम पुत्र वजाराम जाति मेघवाल निवासी धीरा
5. जगना पत्नी वजाराम जाति मेघवाल निवासी धीरा
6. मानाराम पुत्र वजाराम जाति मेघवाल निवासी धीरा
7. गोकाराम पुत्र हकीया जाति मेघवाल निवासी धीरा
8. पोलाराम पुत्र हकीया जाति मेघवाल निवासी धीरा
9. सुटाराम पुत्र हकीया जाति मेघवाल निवासी धीरा
10. पकाराम पुत्र हकीया जाति मेघवाल निवासी धीरा
11. सावलाराम पुत्र हकीया जाति मेघवाल निवासी धीरा
12. मांगीलाल पुत्र केसाराम जाति मेघवाल निवासी धीरा
13. सविया पुत्र मोटा जाति मेघवाल निवासी धीरा
14. हरिया पुत्र मोटा जाति मेघवाल निवासी धीरा

तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थी:-

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता प्रार्थी

--: आदेश :-

दिनांक :- 19.01.2026

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व की धारा 131-136 के तहत विप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि पुराना खसरा संख्या 215 रकबा

49 बीघा (7.9318 हैक्टेयर) सर्व रिसर्वे के पश्चात नवीन खसरा संख्या 249 रकबा 7.7008 हैक्टेयर ग्राम विशनपुरा तहसील सिवाना में अवस्थित है। सर्वे रिसर्वे के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थीगण के नवीन खसरा संख्या 249 की तरमीम पुराने रकबा 49 बीघा (7.9318 हैक्टेयर) अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम दर्शानी थी परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने उक्त तरमीम करते समय सहवन से तीन नया खसरा बनाकर रकबा कम दर्शा दिया तथा नक्शा ट्रेस में पूर्व दिशा की ओर रास्ता का गलत तौर से इन्द्राज दर्शा दिया। प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि में की गई तरमीम को दुरुस्त कर रकबे अनुसार तथा विवादित भूमि के पूर्व दिशा में नजरी नक्शा में गलत तौर से दर्शाए गये रास्ता को हटाकर राजस्व नक्शा लट्ठा ट्रेस में सुधार किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई।

तहसीलदार सिवाना से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई।

प्रार्थी की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में आवेदन पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए माफिक अनुतोष प्रार्थी के खसरा संख्या 249 का रकबा व तरमीम दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरता से अवलोकन एवं मनन किया। तहसीलदार सिवाना ने रिपोर्ट में जाहिर किया की सर्वे रिसर्वे पूर्व रेकर्ड अनुसार खसरा संख्या 249, 250 व 251 की माठ पर रास्ता दर्ज नहीं था, सर्वे रिसर्वे के दौरान खसरा संख्या 249, 250 व 251 के पूर्वी माठ पर खसरा संख्या 246 व 234 किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज किया गया है उक्त रास्ता वर्तमान मे मौके पर नहीं चल रहा है। मौके पर उक्त रास्ता खसरा संख्या 249 के



उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

स्थल चल रहा है। तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में दर्ज रास्ता जो मौके पर नहीं चल रहा है को रेकर्ड से हटाते हुए रिपोर्ट के साथ

संलग्न नक्शा अनुसार मौके पर चल रहे रास्ते के रेकर्ड में दर्ज किया जाने हेतु सहमति जाहिर की

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट व प्रार्थीगण के सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार राजस्व नक्शा में बरंग नीला से दर्शित तरमीम को निरस्त किया जाकर नक्शा में दर्शित बरंग लाल अनुसार तरमीम दुरुस्त किया जाने के आदेश दिया जाते है। तहसीलदार सिवाना माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करे।

तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा इस आदेश का अभिनन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 19.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।




(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सुब-डिविजनल अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

